



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 24.06.2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 184/25 धारा 137(2) बीएनएस में नाबालिक गुमशुदा को अथक प्रयास के बाद अभियोग पंजीकृत होने के 12 घण्टे के अन्दर सकुशल किया बरामदा।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 184/2025 धारा 137(2) बीएनएस में नाबालिक गुमशुदा को अथक प्रयास के बाद अभियोग पंजीकृत होने के 12 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया ।



परिजनों द्वारा थाना रमाला पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सूरज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 48 मीनू शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 24.06.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तो का नाम

शेरू उर्फ सैफ अली खान पुत्र लडडू निवासी मोहल्ला केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतावली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 2-है0का0 707 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 3-का0 467 टिकू अधाना थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनांक 24/06/2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उक्त के गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 200/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इखलाक पुत्र इकबाल मलिक निवासी पट्टी मुण्डाला करम्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री जगवीर सिंह सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-है०का० 432 अनिल नागर थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-का० 783 हिमांशू थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक 24.06.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 197/25 धारा 69 बीएनएस में वांछित
01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाह-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 197/25 धारा 69 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रोहित पुत्र आदेश निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत हाल पता जैन कालेज रोड कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्रीपाल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. का0 555 रवि कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
3. का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 24.06.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 48 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 48 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अनुराग पुत्र बलराम निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।(26 पच्चे)

2-कृष्ण पुत्र बलराम निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।(22 पच्चे)



बरामदगी का विवरण-

- 48 पच्चे अवैध देशी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0186 इमरान खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 295 नरेन्द्र गौड थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 5-का0427 अरूण कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक-24.06.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 95 किलोग्राम निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध पटाखे व 05 किलोग्राम अवैध पटाखे निर्माण करने की सामग्री बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं विस्फोटक सामग्री की तस्करी करने वालों/बनाने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से निर्मित/अर्द्धनिर्मित 95 किलो ग्राम अवैध पटाखे व 05 किलोग्राम अवैध पटाखे निर्माण करने की सामग्री बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आसिफ पुत्र इकराम निवासी पट्टी तिरगरान करबा व थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 95 किलोग्राम निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध पटाखे ।
- 05 किलोग्राम अवैध पटाखे निर्माण करने की सामग्री।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उपनि० श्री वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत
- 2- है०का० 36 हरविन्द्र थाना दोघट जनपद बागपत
- 3- का० 1060 गौरव कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
- 4- का० 1055 सुचेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत



दिनांक 24.06.2025

**थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 590 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा दौराने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त



को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 590 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 405/25 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फुरकान पुत्र शौकिन निवासी लोहड्डा थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 590 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री मुकेश कुमार पाल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3- है0का0 678 योगेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4- का0 194 तरुण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5- का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 24.06.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 357/25 धारा 352/109 बीएनएस में वांछित 25 हजार के इनामिया 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से फायरिंग की घटना में प्रयुक्त 01 गाडी स्कॉर्पियो नं0 UP-17V-0607 व 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.06.2025 को थाना बडौत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि बाईक सवार 03 अज्ञात लड़कों तथा काली स्कॉर्पियों में सवार कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा वादिया के घर के बाहर आकर गाली-गलौच की गई, जिसका वादिया द्वारा विरोध करने पर वादिया के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किये गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 357/25 धारा 352/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान अभियुक्तों 1.हर्ष पवार पुत्र मनोज पवार निवासी बाबली रोड बाबली चुंगी के पास थाना बडौत जनपद बागपत 2.लव तोमर पुत्र डा0 अनिल तोमर निवासी पट्टी

चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत 3. सोनू पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत हालनिवासी गली नं0 8 गुराना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत बताया 4.सुमित रिक्का पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत 5.अजीत पुत्र राजबीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये तथा दिनांक 12.06.2025 को अभियुक्त सोनू पुत्र तेजपाल निवासी गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत व दिनांक 13.06.2025 को अभियुक्त सुमित रिक्का पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत को थाना बडौत पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 357/25 धारा 352/109 बीएनएस में वांछित 25 हजार के इनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से फायरिंग की घटना में प्रयुक्त 01 गाडी स्कॉर्पियो नं0 UP-17V-0607 व 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हर्ष पंवार पुत्र मनोज निवासी बाबली चुंगी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी दिनांक समय व स्थान- उपरोक्त अभियुक्त को दिनांक 23-06-2025 रात्रि समय 22.28 बजे कोताना रोड़ शाहमल स्टेडियम तिराहा थाना बडौत क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर।
- 01 गाड़ी स्कॉर्पियो गाडी नं0 UP-17V-0607 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 357/25 धारा 352/109 बीएनएस की घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री दिनेशपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपता।
2. है०का० 813 प्रदीप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपता।
3. का० 970 रोहित अत्री थाना बड़ौत जनपद बागपता।

